ई मेल

कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक गाजियाबाद ।

पत्रांकः–मा0/ 3641-45 /2020–21 दिनांक 11-09-2020

प्रबन्धक/प्रधानाचार्य,
समस्त सी0बी0एस0ई0/आई0सी0एस0ई0 बोर्ड से मान्यता प्राप्त विद्यालय,
जनपद–गाजियाबाद ।

जिलाधिकारी महोदय गाजियाबाद की अध्यक्षता में आज दिनांक 11–09–2020 को इंडिपेंडेंट स्कूल फेडरेशन ऑफ इंडिया (गाजियाबाद) के पदाधिकारियों के साथ अपने कैंप कार्यालय पर बैठक आहूत की गई । बैठक में जिलाधिकारी महोदय गाजियाबाद के द्वारा समस्त निजी विद्यालयों को कड़े निर्देश दिए गए कि 04 जुलाई, 2020 का शासनादेश जो अनलॉक–2 के कम में प्रदेश में संचालित समस्त शिक्षा बोर्ड के माध्यमिक विद्यालय के सम्बन्ध में है, का कठोरता से अनुपालन समस्त स्कूलों द्वारा किये जाए तथा प्रत्येक विद्यालय इस शासनादेश को अपने स्कूल की वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करेंगें । इसके साथ–साथ विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर शासनादेश चस्पा करेंगे तथा समस्त अभिभावकों में व्यापक प्रचार–प्रसार करेगें ताकि आम व्यक्ति को भी शासनादेश के बारे में स्पष्ट जानकारी प्राप्त हो सकें । साथ ही जिलाधिकारी महोदय गाजियाबाद के द्वारा निर्देशित किया गया कि शासनादेश की मंशा के अनुरूप प्रत्येक विद्यालय एक फॉर्मेट डवलप करेंगे, जिसमें फीस जमा करने वाले व फीस जमा न करने वाले अभिभावकों से आवेदन–पत्र के आधार पर विचार करते हुए फीस किश्तों में जमा करने पर निर्णय लेगे और पेमेंट प्लान बना कर अभिभावकों को देंगे । यदि किसी अभिभावक के आवेदन पत्र को अस्वीकार किया जाता है तो उसका कारण स्पष्ट करते हुए अद्योहस्ताक्षरी को अवगत करायेगें तथा अभिभावकों को भी उसकी लिखित सूचना देंगें । जिससे अद्योहस्ताक्षरी अस्वीकृत पत्रों की समीक्षा कर जिलाधिकारी महोदय गाजियाबाद को अवगत करायेगें ।

उक्त के सम्बन्ध में अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश के शासनादेश संख्या–1021/ 15–7–2020–1(20)/2020 माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–7 लखनऊ दिनांक 04 जुलाई, 2020 के कम में कार्यालय के पत्रांक व्यै0स0/1386–90/2020–21 दिनांक 04–07–2020 के द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन करने के निर्देश दिये गये थे । उक्त उल्लेखित शासनादेश दिनांक 04 जुलाई, 2020 में उल्लेखित है कि "लॉक डाउन के कारण उत्पन्न विषम परिस्थितियों/आर्थिक कठिनाईयों के दृष्टिगत जो अभिभावक सम्प्रति शुल्क जमा करने में अपने आपको असमर्थ पाते है उनके द्वारा शुल्क जमा न किए जाने के कारणों/परिस्थितियों का उल्लेख करते हुए इस आशय का एक लिखित प्रार्थना–पत्र सम्बन्धित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य के समक्ष प्रस्तुत किया जाय तथा इस प्रार्थना पत्र पर सकारात्मक रूप से विचार करते हुए आसान किश्तों में शुल्क लिया जाय। परन्तु यदि तब भी किसी अभिभावक द्वारा शुल्क जमा नहीं किया जाता है, तो उस छात्र को ऑनलाइन पठन–पाठन से वंचित न किया जाय और न ही इस आधार पर किसी छात्र/छात्रा का नाम विद्यालय से काटा जाय", सम्बन्धित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें ।

यदि शुल्क इत्यादि के सम्बन्ध में किसी बिन्दु विशेष पर कोई पक्ष क्षुब्द है तो उ0प्र0 स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) 2018 की धारा–8(1) के अन्तर्गत गठित जिला शुल्क नियामक समिति के समक्ष दूसरे पक्ष द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है । इस प्रकार प्रस्तुत आवेदन पत्र पर जिला शुल्क नियामक समिति द्वारा एक सप्ताह में नियमानुसार निर्णय लिया जाय"।

उपरोक्त के सम्बन्ध में आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त शासनादेश दिनांक 04 जुलाई, 2020 का कठोरता से अनुपालन करना सुनिश्चित करें तथा छात्र/छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उनके पठन–पाठन में व्यवधान न किया जाये और किसी भी दशा में किसी भी छात्र/छात्रा को ऑनलाईन क्लास से वंचित न किया जाये । साथ ही उक्तानुसार जिलाधिकारी महोदय गाजियाबाद के द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से अद्योहस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित करें ।

संलग्नक–उक्त शासनादेश ।

(रविदत्त)
जिला विद्यालय निरीक्षक
गाजियाबाद।

D:\drive M\CBSE I.doc3966